

असम-मज़ोरम सीमा वविाद

प्रीलमिन्स के लिये

पूर्वोत्तर की भौगोलिक अवसंरचना

मेन्स के लिये

असम-मज़ोरम सीमा वविाद, भारत में सीमा-वविादों की समग्र स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में असम के कछार ज़िले के अंदर कथति तौर पर मज़ोरम के नवासिधों द्वारा कई 'इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डेविइस' यानी आईईडी वस्फोट कयि गए हैं। ये वस्फोट लंबे समय से अनसुलझे असम-मज़ोरम सीमा वविाद के फरि से उभरने का संकेत देते हैं।

- असम और मज़ोरम के बीच सीमा का मुद्दा मज़ोरम के गठन के बाद असततित्व में आया था। मज़ोरम सर्वप्रथम वर्ष 1972 में एक केंद्रशासति प्रदेश के रूप में और फरि वर्ष 1987 में एक पूर्ण राज्य के रूप में असततित्व में आया।
- भारत में अंतर्राज्यीय वविाद बहुआयामी हैं, सीमा वविादों के अलावा देश में पानी (नदयिों) के बँटवारे और प्रवासन को लेकर भी वविाद देखने को मलिते हैं, जो कभारत की संघीय राजनीतको भी प्रभावति करते हैं।

नोट


- औपनविशकि काल के दौरान मज़ोरम को असम के 'लुशाई हलिन्स' ज़िले के नाम से जाना जाता था।
- मज़ोरम राज्य अधनियम, 1986 द्वारा वर्ष 1987 में मज़ोरम को राज्य का दर्जा दयिा गया था।
- असम वर्ष 1950 में भारत का एक घटक राज्य बन गया और 1960 तथा 1970 के दशक की शुरुआत के बीच इसके अधकिंश क्षेत्र को पूर्वोत्तर में स्वतंत्र राज्य बना दयिा गया।

प्रमुख बदि

• असम-मज़ोरम सीमा वविाद- पृष्ठभूमि

- असम और मज़ोरम के बीच मौजूदा सीमा वविाद की शुरुआत औपनविशकि युग के दौरान तब हुई थी जब बरतिशि राज की प्रशासनकि ज़रूरतों के अनुसार इस क्षेत्र का आंतरकि सीमांकन कयिा गया था।
- असम-मज़ोरम वविाद बरतिशि काल में पारति दो अधसिचनओं के कारण उत्पन्न हुआ।
 - सबसे पहली अधसिचन वर्ष 1875 में जारी की गई, जसिके तहत 'लुशाई हलिन्स' क्षेत्र को कछार के मैदानी इलाकों से अलग कर दयिा गया।
 - दूसरी अधसिचन वर्ष 1933 में जारी हुई और इसके तहत 'लुशाई हलिन्स' तथा मणपिर के बीच एक सीमा का सीमांकन कयिा गया।
- मज़ोरम का मानना है क सीमा का सीमांकन वर्ष 1875 की अधसिचन के आधार पर कयिा जाना चाहयिे था, जो क 'बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन' (BEFR) अधनियम, 1873 के तहत जारी की गई थी।
 - मज़िो नेता वर्ष 1933 में अधसिचति सीमांकन के वरिद्ध हैं, क्योक उनके अनुसार इस अधसिचन के दौरान मज़िो समाज से परामर्श नहीं कयिा गया था।
 - वही दूसरी ओर असम सरकार वर्ष 1933 के सीमांकन को अपना आधार मानती है।

- परिणामस्वरूप दोनों राज्यों की अपनी-अपनी सीमा के बारे में अलग-अलग धारणा बनी हुई है और यही विवाद का मुख्य कारण है।
- असम और मज़ोरम को अलग करने वाली 164.6 किलोमीटर की अंतर-राज्यीय सीमा है, जिसमें असम के तीन ज़िले- कछार, हैलाकांडी और करीमगंज, मज़ोरम के कोलासबि, ममति एवं आइज़ोल ज़िलों के साथ सीमा साझा करते हैं।
- इसके अलावा मज़ोरम और असम के बीच की सीमा पहाड़ियों, घाटियों, नदियों तथा जंगलों के कारण स्वाभाविक रूप से वभाजित है एवं दोनों पक्षों के बीच यह विवाद एक काल्पनिक रेखा संबंधी धारणात्मक मतभेदों पर आधारित है।
- हालाँकि पूर्वोत्तर के जटिल सीमा समीकरणों में असम और मज़ोरम के नविसियों के बीच संघर्ष असम के अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे नगालैंड की तुलना में काफी कम है।



• भारत में अंतरराज्यीय विवादों की समग्र स्थिति:

- **सीमा का मुद्दा:** राज्यों के बीच सीमा विवाद भारत में अंतरराज्यीय विवादों के प्रमुख कारणों में से एक है। उदाहरण के लिये-
 - कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों ही **बेलगाम** पर अपना दावा करते हैं, जिससे इन दोनों के बीच समय-समय पर विवाद देखने को मिलता रहता है।
 - **पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम** [North-Eastern Areas (Reorganisation) Act], 1971 ने मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों की स्थापना तथा मेघालय के गठन से पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया।
 - इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई सीमा विवाद हुए हैं जैसे- असम-नगालैंड, असम-मेघालय आदि।
- **प्रवासन का मुद्दा:** कुछ राज्यों में दूसरे राज्यों के प्रवासियों और नौकरी चाहने वालों को लेकर हसिक आंदोलन हुए हैं।
 - ऐसा इसलिए है क्योंकि भोजपुर संसाधन और रोजगार के अवसर बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।
 - संबंधित राज्यों में रोजगार में वरीयता के लिये '**सन ऑफ़ द साइल**' (Sons of The Soil) की अवधारणा संघवाद की जड़ों को नष्ट कर देती है।
- **जल संसाधनों के बँटवारे पर विवाद:** सबसे लंबे समय से चल रहा और विवादास्पद अंतरराज्यीय मुद्दा नदी के पानी के बँटवारे का रहा है।
 - भारत की अधिकांश नदियाँ अंतरराज्यीय हैं, अर्थात् ये एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं।
 - पानी की मांग में वृद्धि के कारण नदी के पानी के बँटवारे को लेकर कई अंतरराज्यीय विवाद सामने आए हैं।

आगे की राह:

- राज्यों के बीच सीमा विवादों को वास्तविक सीमा स्थानों के उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करके सुलझाया जा सकता है।
- अंतर-राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित करना अंतर-राज्यीय विवाद के समाधान के लिये एक विकल्प हो सकता है।
 - संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्यीय परिषद से विवादों पर पूछताछ और सलाह देने, सभी राज्यों के लिये सामान्य विषयों पर चर्चा करने तथा बेहतर नीति समन्वय हेतु सफ़ाई करने की अपेक्षा की जाती है।
- इसी तरह प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों की सामान्य चिंता के मामलों पर चर्चा करने हेतु क्षेत्रीय परिषदों को पुनर्जीवित किये जाने की आवश्यकता है। जैसे- सामाजिक और आर्थिक योजना, सीमा विवाद, अंतर-राज्यीय परिवहन आदि से संबंधित मामले।

- भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हालाँकि इस एकता को और मज़बूत करने के लिये केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों को सहकारी संघवाद के लोकाचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है।

स्रोत- द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/assam-mizoram-border-dispute>

